भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2885
जिसका उत्तर बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

विवादों का निपटान

2885. श्री विनोद कुमार सोनकर :

डॉ. सुकान्त मजूमदार :

श्री रामचरण बोहरा :

श्री राजा अमरेश्वर नाईक :

श्री खगेन मुर्मू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधनों पर विधि आयोग की सिफारिशों की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या उच्च स्तरीय समिति ने विवादों के निपटान हेतु संस्थागत माध्यस्थता को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधनों हेतु सिफारिश की है और यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने भारत को एक मजबूत वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र केन्द्र बनाने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 को स्वीकृति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में कितने माध्यस्थता केन्द्र/वैकल्पिक विवाद निपटान (एडीआर) केन्द्रों की स्थापना की गई है और उक्त अवधि के दौरान उक्त केन्द्रों द्वारा कितने मामलों का निपटान किया गया है ;

(ङ) क्या सरकार का निकट भविष्य में उक्त केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(च) क्या सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग (संशोधन) विधेयक, 2018 को स्वीकृति दी है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (छ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'विवादों का निपटान' के संबंध में माननीय सासदों श्री विनोद कुमार सोनकर, डॉ. सुकान्त मजूमदार, श्री रामचरण बोहरा, श्री राजा अमरेश्वर नाईक, श्री खगेन मुर्मू, द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2885 जिसका उत्तर तारीख 10.07.2019 को दिया जाना है, के भाग (क) से (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) : सरकार ने भारत के विधि आयोग की 246वीं रिपोर्ट और अनुपुरक रिपोर्ट और अन्य पणधारियों से प्राप्त सुझावों की परीक्षा और उस पर साम्यक विचार करने के पश्चात माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 को संशोधित किया गया था। संशोधित अधिनियम अन्य बातों के साथ, माध्यस्थम पंचाट के लिए समय सीमा, त्वरित निपटान प्रक्रिया, मध्यस्थ की तटस्थता, मध्यस्थम पंचाट का समय से निष्पादन, माध्यस्थम पंचाट को चुनौती देने की संभावना को कम करना, कम से कम न्यायालय हस्तक्षेप और मध्यस्थो की फीस आदि का उपबंध करता है।

(ख) और (ग) : देश में माध्यस्थम तंत्र के संस्थागतकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय समिति (एच एल सी) की सिफारशों पर विचार करने के पश्चात भारत में माध्यस्थम तंत्र के संस्थागतकरण को पुनर्विलोकन करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 नामक एक विधेयक तारीख 18.07.2018 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया और विधेयक तारीख 10.08.2019 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। संशोधित विधेयक अन्य बातों के साथ माध्यस्थम, माध्यस्ता, सुलह और अन्य अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र को बढा देने और प्रोत्साहित करने के लिए आदेश सहित भारतीय माध्यस्थम परिसर की स्थापना के लिए उपबंध करता हैं और उस प्रयोजन के लिए माध्यस्थम से संबंधित सभी विषयों के संबंध में एक समान वृतिक मानकों की स्थापना, प्रचालन और रख-रखाव के लिए नीति मार्गदर्शक सिंदधांत विरचित करने के लिए भी उपबंध करता है तथापि, 16वीं लोक सभा के विघटन के कारण विधेयक व्पगत हो गया था क्योकि यह राज्य सभा द्वारा पारित नहीं किया जा सका था।

(घ) और (ङ) : विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित मध्यस्थ केंद्रों/अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) केंद्रों की संख्या के साथ प्रत्येक पिछले तीन वर्षों के दौरान इन केंद्रों द्वारा निपटान किए गए मामलों की संख्या उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार से हैं :-

क्र. सं.	अवधि	कार्यरत वैकल्पिक विवाद निपटान केंद्रों की संख्या	मध्यस्थ के माध्यम से निपटान किए गए मामलों की संख्या
1.	2016-17	375	93730
2.	2017-18	556	107587
3.	2018-19	582	98966

(च) और (छ) : केंद्रीय सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2018 द्वारा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 को संशोधित किया गया था। संशोधित अधिनयम के उपबंध वाणिज्यिक विवाद के विनिर्दिष्ट पूर्वतर मूल्य को एक करोड़ रुपये से कम करके तीन लाख रुपये करके और जहां उच्च न्यायालय साधारण आरंभिक अधिकारिता प्रयोग करते है वहां अधिकारिताओं में जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना करके वाणिज्यिक विवाद के त्वरित निपटान को सुकर बनाता है। संशोधित अधिनियम वाद के संस्थित करने से पहले कतिपय मामलों में अनिवार्य मध्यस्थ के लिए पूर्व-संस्थित माध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस)

तंत्र के लिए उपबंध भी करता हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्व-संस्थित माध्यस्थता और निपटान को संचालित करने के लिए अधिकृत हैं।

****